

10. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति वित्त विभागीय संलेख ज्ञापांक 3041/वि० दिनांक 25.08.2014 के क्रम में दिनांक 25.08.2014 की बैठक के मद सं० 31 में दी गई है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखंड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखंड, राँची/सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष को प्रेषित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(राजबाला वर्मा)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक : 6/ए० (भत्ता)-01/2012..... राँची, दिनांक .....

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं हक०), झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


ह०/-

(राजबाला वर्मा)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक : 6/ए० (भत्ता)-01/2012:3211/वि० राँची, दिनांक 08.09.14

प्रतिलिपि : महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी कोषागार/उप-कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड/वित्त विभाग, झारखण्ड के सभी पदाधिकारी/जन सूचना कोषांग, वित्त विभाग, झारखंड/श्री सरोज कुमार, सहायक प्रोग्रामर, पी०एम०यू० कोषांग, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(राजबाला वर्मा) 4. 8. 2014  
सरकार के प्रधान सचिव।